रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 14, 2016/पौष 24, 1937
No. 26] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 26(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 125 की उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त् शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् –

1. संक्षिप्त नाम, व्याप्ति और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, बैठकों का आयोजन और कार्यालयों और अधिकारियों के लिए उपाबंध) नियम, 2016 है।

2. ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "अधिनियम" से कंपनी अधिनियम, 2013 अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन गठित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से इन नियमों के नियम (5) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "कंपनी" से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित 'तत्स्थानीय नया बैंक' सम्मिलित है;

(ङ) "निधि" से अधिनियम की धारा 125 के अधीन स्थापित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) अभिप्रेत है;

(च) "विनिधानकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी के किसी स्कीम या योजना के अधीन शेयरों या डिबेंचरों, बंधपत्र या निक्षेप में पैसा लगाया है;

(छ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (6) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है किंतु अधिनियम में या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों का विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित किया गया है, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम या उक्त नियम में दिए गए हैं।

3. प्राधिकरण की स्थापना.- प्राधिकरण की स्थापना ऐसी तारीख को की जाएगी जो केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे।

4. प्राधिकरण का संघटन.- (1) प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् –

(क) अध्यक्ष;

(ख) छह सदस्य; और

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकरण का संयोजक होगा।

5. प्राधिकरण का अध्यक्ष.- सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होंगे।

6. प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी.- केंद्रीय सरकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करेगी।

7. प्राधिकरण के सदस्य.– केंद्रीय सरकार निम्नलिखित को प्राधिकरण के सदस्य को रूप में नियुक्त कर सकेगी, अर्थात्-

(i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसका दर्जा कार्यपालक निदेशक से कम न हो;

(ii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति जिसका दर्जा कार्यपालक निदेशक से कम न हो;

(iii) चार प्रतिष्ठित व्यक्ति, जो वित्त, प्रबंधन, लेखांकन या विधि में विशेष ज्ञान और न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखते हों। इन क्षेत्रों में से प्रत्येक विषय से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा और ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा विशेष ज्ञान या व्यवसायिक अनुभव होगा, जो केंद्रीय सरकार की राय के अनुसार प्राधिकरण के लिए उपयोगी होगा।

8. प्राधिकरण के सदस्यों की निबंधन.- (1) नियम 7 के खंड (iii) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के सदस्य की निबंधन तीन वर्ष होगी और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा;

परंतु कोई सदस्य तीन निबंधनों से अधिक तक पदधारण नहीं कर सकेगा।

परंतु यह और कि कोई सदस्य उसकी निबंधन के पश्चात् तीन वर्ष की उपशमन अवधि के पश्चात् ही पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(2) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के रहते हुए भी, केंद्रीय सरकार नियम 7 के खंड (iii) के अधीन नियुक्त किसी सदस्य की सेवा उपनियम (4) में उल्लिखित कारणों के लिए तीन महीने से अन्यून अवधि की लिखित नोटिस देकर उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व समाप्त कर सकती है और किसी सदस्य के पास भी केंद्रीय सरकार को

तीन महीने से अन्यून अवधि की लिखित नोटिस देकर उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति से पहले पदत्याग करने का अधिकार होगा।

(3) नियम 7 के खंड (iii) के अधीन नियुक्त सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्षों की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, तक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकती है, यदि वह—

(क) दिवालिया है या किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णयन किया गया है;

(ख) विकृतचित है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यह न्यायनिर्णयन किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार की राय में किसी अपराध का सिद्धदोष है, जिसमें नैतिक अधमता भी अंतर्वलित है;

(घ) केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस तरह दुरूपयोग किया है कि उसका लगातार कार्यकाल लोकहित के लिए हानिकारक होगा।

परंतु किसी सदस्य को इस उप-नियम के अधीन मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं हटाया जाएगा।

9. **प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या.-** प्राधिकरण में अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की संख्या इन नियमों की अनुसूची I में अधिकथित की तरह होगी जिससे लिपिकीय सहायता और दिन-प्रतिदिन के कार्य हो सकें।

10. **प्राधिकरण के कार्य.-** (1) अधिनियम के उपबंधों के अधीन, प्राधिकरण का कर्तव्य विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि का प्रशासन करना होगा।

(2) प्राधिकरण के मामलों का साधारण प्रबंधन मुख्य कार्यपालक अधिकारी करेंगे, जो प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्राधिकृत की गई सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी अध्यक्ष की अधीक्षण और निदेशानुसार सभी कार्य करेंगे।

(4) उपाबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण के कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) प्राधिकरण, अपने कार्यों के निरीक्षण के लिए स्थायी समितियों का गठन कर सकेगी।

(ख) प्रत्येक समिति में दो सदस्य में समाविष्ट होंगे, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और संबंधित कार्यात्मक प्रमुख, जो समिति के सचिव होंगे। समिति की अध्यक्षता एक पदेन सदस्य द्वारा की जाएगी।

(ग) समिति किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे पर अपेक्षित होने पर विशिष्ट ज्ञान और दक्षता वाले विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है;

(घ) अपेक्षित होने पर प्राधिकरण निधि और शेयर प्रबंधन से संबंधित कार्य आउटसोर्स भी करवा सकती है।

(ङ) प्राधिकरण के व्यापक कार्यात्मक प्रभाग इन नियमों की अनुसूची-2 के अनुसार होंगे।

11. **अधिवेशन.-** (1) प्राधिकरण और इसकी समितियां ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेंगी जो यह आवश्यक समझे।

(2) प्राधिकरण और इसकी समितियां बैठकों के आयोजन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अवधारित करेंगे।

(3) यदि प्राधिकरण या इसकी समितियों को मुख्यालय नई दिल्ली के अलावा बैठक का आयोजन अन्यत्र करना है तो प्राधिकरण के अध्यक्ष से इसके कारण उपदर्शित करते हुए अनुमोदन अभिप्राप्त करना होगा।

(4) प्राधिकरण और इसकी समितियां एक तिमाही में कम से कम एक बैठक और एक वित्तीय वर्ष में ऐसी चार बैठकें करेंगी:

परंतु लगातार दो बैठकों में एक सौ बीस दिन से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए।

(5) प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(6) यदि किसी कारण के लिए अध्यक्ष बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हैं तो सदस्यों द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों में से चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(7) प्राधिकरण या इसकी किसी समिति में किसी प्रश्न पर मतभेद होने के मामले में बहुमत को अंतिम निर्णय माना जाएगा।

(8) प्राधिकरण की किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार में गणपूर्ति प्राधिकरण के नियुक्त सदस्यों के 50% से अधिक होगी।

(9) किसी समिति की किसी बैठक में कारबार के संव्यवहार में समिति के दो सदस्य गणपूर्ति का गठन करेंगे।

(10) प्राधिकरण या समिति के किसी गैर शासकीय सदस्य द्वारा या विशिष्ट आमंत्री व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण या समिति के कार्य के संबंध मे की गई यात्राओं के लिए बैठक में उपस्थित होने के लिए वास्तविक व्यय भारत सरकार के ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के एक अधिकारी के लिए इस तरह के व्यय की अधिकतम सीमा के अनुसार दिया जाएगा।

12. **कतिपय मामलों में सदस्य का बैठक में भाग न लेना.-** कोई सदस्य, जिसका प्राधिकरण या इसकी समितियों की किसी बैठक में विचार में लाए गए किसी मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आर्थिक हित है, सुसंगत परिस्थितियों का उसे पता चलने के बाद ऐसी बैठकों में उसके हित के प्रकार का यथाशीघ्र प्रकटीकरण करेगा और ऐसा प्रकटीकरण प्राधिकरण और इसकी समितियों की कार्रवाहियों के लिए अभिलिखित किया जाएगा तथा वह सदस्य प्राधिकरण और इसकी समितियों के इस मामले के संबंध में किसी भी विचार विमर्श और निर्णय में भाग नहीं लेगा।

13. **रिक्तियां आदि, प्राधिकरण की कार्यवाही अविधिमान्य न होना.-** प्राधिकरण और इसकी समितियों का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अमान्य नहीं की जाएगी कि:-

(क) प्राधिकरण और इसकी समितियों के किसी रिक्ति या गठन में कोई त्रुटि है;

(ख) प्राधिकरण और इसकी समितियों के किसी सदस्य के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है;

(ग) प्राधिकरण और इसकी समितियों की प्रक्रिया में कोई अनियमितता जो मामले के गुणदोषों को प्रभावित नहीं करती है;

14. **सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.-** सदभावना में किए गए या इन नियमों के अधीन किए जाने वाले कार्य के लिए केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य या अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरूद्ध कोई वाद अभियोग या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अनुसूची 1

क्र.सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	महाप्रबंधक	पी.बी.-4+ जीपी रु. 8700	01
2.	सहायक महाप्रबंधक	पी.बी.-3+ जीपी रु. 5400	01
3.	ज्येष्ठ लेखा अधिकारी	पी.बी.-3+ जीपी रु. 5400	01
4.	सहायक लेखा अधिकारी	पी.बी.-2+ जीपी रु. 4800	02

अनुसूची 2

प्राधिकरण के कार्यात्मक अनुभाग

(1) प्रशासन:

(i) निधि के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आवश्यक या ठीक समझे जाने वाले सभी प्रशासनिक कार्यों की स्थापना, सुसज्जित करना, अनुरक्षण और प्रशासनिक परिचालन करना

(ii) प्राधिकरण और प्राधिकरण संबंधी मामलों की समितियां।

(2) निवेश/निधि प्रबंधन:

(i) जमा राशियों का अनुरक्षण, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ब्याजधारी खाते में इसका निवेश करना।

(ii) प्राधिकरण का जमा खाता खोलना और विनिधानकर्ता के खाता प्रत्याभूतियों को इसमें स्थानांतरित करना और दावे के निपटारे के पश्चात प्रतिभूतियों को विनिधानकर्ता खाते में अंतरित करना।

(3) दावा और निपटान:

(i) अधिनियम की धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) के और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनिधानकर्ताओं द्वारा दर्ज कराए गए दावों के संबंध में पात्र विनिधानकर्ताओं को सही प्रक्रिया पालन करने के पश्चात प्रतिदाय करना।

(ii) अदालत या प्राधिकरण के आदेशानुसार गबन की हुई राशि का वितरण।

(iii) विधिक और प्रवर्तन विभाग के साथ परामर्श करके वापस की हुई राशि का वितरण अधिकरण या प्राधिकरण, यथास्थिति के आदेशानुसार किसी ऐसे पात्र और पहचाने गए प्रतिभूतिधारी को करना जिसने किसी व्यक्ति के गलत कार्यों के सम्यक से नुकसान कष्ट हो। वितरित की जाने वाली राशि किसी विशेष आदेश संबंधी वापस की हुई राशि तक सीमित होनी चाहिए और वितरण के लिए किसी अन्य राशि का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(4) विधि और प्रवर्तन:

(i) अनुपालन नहीं करने वाली कंपनियों/व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक मामलों की शुरूआत।

(ii) दावा या निपटान अथवा अन्य किसी विवाद से उत्पन्न विधिक मामलों और विवादों पर कार्यवाही करना।

(iii) अधिनियम की धारा 37 और धारा 245 के अधीन सदस्यों, डिवेंचरधारियों या निक्षेपकर्ताओं द्वारा किए गए श्रेणी कार्यवाद को जारी रखने में आए विधिक व्यय को पूरा करने के लिए निधि से राशि का प्रतिपूर्ति करना जैसा कि अधिकरण द्वारा इस संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार विहित है।

IndiaCode

(5) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण:

(i) विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण कार्यकलापों में लगे हुए संगठनों या संस्थानों या व्यावसायिक निकायों या उद्योग और वाणिज्य मंडल या अन्य संगठनों को रजिस्ट्रीकृत करना।

(ii) कारपोरेट सुशासन, अनुसंधान कार्य सहित विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण के क्षेत्र में संगोष्ठी, कार्यक्रम, परियोजना या कार्यकलापों के लिए पंजीकृत निकायों को अनुदान की संस्वीकृति देना।

(iii) अनुदान की संस्वीकृति के उद्देश्यों की पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए अनुदान के प्रयोग पर निगरानी रखना।

(iv) विनिधानकर्ता शिक्षा, कारपोरेट सुशासन, जागरूकता और संरक्षण कार्यों में संलग्न संस्थानों का साथ और/या सहयोग देना।

(v) अपने वास्ते या विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण में लगी इकाइयों या शैक्षिक संस्थानों या अन्य नियामक इकाइयों जैसे शेयर बाजार, डिपोसेटरी, बैंक और पारस्परिक निधियों के सहयोग से संगोष्ठी और विचार गोष्ठी सहित राष्ट्रव्यापी विनिधानकर्ता शिक्षा और जागरूकता परियोजना का आयोजन करना।

(vi) अनुसंधान और प्रशिक्षण क्रियाकलापों सहित कार्यक्रम; परियोजना और कार्ययोजना के लिए इसके लक्ष्य और व्यय को ध्यान में रखते हुए संस्थागत व्यवस्था या अवसंरचना की स्थापना करना।

(vii) विनिधानकर्ताओं के हित उद्देश्य और निधि को प्राप्त करने के लिए सूचनाओं का प्रकाशन और प्रचार-प्रसार।

(viii) विनिधानकर्ताओं के हित संबंधी मुद्दों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना।

(ix) पूंजी बाजार के विकास के लिए विशेष अध्ययन/अनुसंधान/विश्लेषण प्रायोजित करना।

(6) वित्त, लेखा और लागत :

(i) निधियों के अंतर्वाह और बहिर्वाह लेखाओं का अनुरक्षण करना।

(ii) विनिधानकर्ताओं के खातों का समन्वय करना।

(iii) सभी लेखा रिपोर्टों, लेखा परीक्षा कार्यों और वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी करना।

(iv) केन्द्रीय सरकार को रिटर्न फाइल करना।

(v) प्राधिकरण का बजट तैयार करना और इसकी निगरानी करना।

(vi) अपने-अपने लेखाओं में विनिधानकर्ताओं के दावों का खाता लेखा करना।

(vii) विनिधानकर्ताओं की निधियों और प्रतिभूतियों के लेखाओं की प्रक्रिया।

(7) अध्यक्ष, प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुसार कार्यों का पुन: आबंटन, विलयन या विभाजनों का उप-विभाजन कर सकते हैं।

[फा. सं. 05/27/2013-आईईपीएफ]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January, 2016

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5), (6) and (7) of section 125 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Companies Act. 2013;
(b) "Authority" means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;
(c) "Chairperson" means the chairperson of the authority appointed under rule (5) of these rules;
(d) "Company" means company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes 'corresponding new bank' as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);
(e) "Fund" means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Act;
(f) "Investor" means any person, who has committed money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;
(g) "Member" means members of the Authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act; and
(h) "Section" means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

IndiaCode

3. Establishment of the Authority.- The Authority shall be established on such date as may be notified by the Central Government.

4. **Composition of the Authority.-** (1) The Authority shall consist of the following, namely:-
(a) Chairperson
(b) six members
(c) Chief Executive Officer

(2) The Chief Executive Officer shall be the convenor of the Authority.

5. Chairperson of the Authority.- The Secretary, Ministry of Corporate Affairs shall be the *ex-officio* Chairperson of the Authority.

6. Chief Executive Officer of the Authority.- The Central Government shall appoint a person to be the Chief Executive Officer of the Authority.

7. Members of the Authority.- The Central Government may appoint the following as the members of the Authority, namely:—

(i) a person not below the rank of Executive Director to be nominated by the Reserve Bank of India as *ex-officio* member;

(ii) a person not below the rank of Executive Director to be nominated by the Securities and Exchange Board of India as *ex-officio* member;

(iii) four persons having special knowledge and experience of not less than fifteen years, in finance, management, accountancy or law with one person from each discipline and such person shall have special knowledge, or professional experience, which shall in the opinion of the Central Government shall be useful to the Authority.

8. The term of office of members of the Authority.- (1) The members of the Authority appointed under clause (iii) of rule 7 shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment;

Provided that no member shall hold office for more than three terms.

Provided further that a member shall be eligible for reappointment after expiration of cooling off period of three years after his term.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government shall have the right to terminate the services of a member appointed under clause (iii) of rule 7, at any time before the expiry of the period specified under sub-rule (1), by giving him notice of not less than three months in writing for reasons mentioned in sub-rule (4), and a member shall also have the right to relinquish his office, at any time before the expiry of the period specified under sub-rule (1), by giving to the Central Government notice of not less than three months in writing.

(3) The members appointed under clause (iii) of rule 7 shall hold office for a period of three years or till attaining the age of 65 years whichever is earlier.

(4) The Central Government shall remove a member from office if he—

(a) is, or at any time has been, adjudicated as insolvent;

(b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(c) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves a moral turpitude;

(d) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest.

IndiaCode

Provided that no member shall be removed under this sub-rule unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

9. The number of officers and employees of the Authority.- The Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day to day functions as are set out in Schedule I to these rules.

10. Functions of the Authority.- (1) Subject to the provision of the Act, the Authority shall have the duty to administer the Fund for Investor Education and Protection.

(2) The general management of the affairs of the Authority shall vest in the Chief Executive Officer, who may exercise powers, which may be authorised by the Authority.

(3) The Chief Executive Officer shall function under superintendence and direction of the Chairperson.

(4) Without prejudice to the generality of the provisions, the functions of the Authority shall include the following, namely:-

(a) The Authority may constitute permanent Committees for overseeing its functions;

(b) Each Committee shall comprise two members, Chief Executive Officer and concerned functional head, who shall be the secretary of the Committee. The Committee shall be headed by an ex-officio member;

(c) The Committee may invite experts with special knowledge and expertise, as and when required to assist it on any specific issue;

(b)The Authority may outsource, if required, work related to Funds and Shares Management.

(c) The broad functional divisions of the Authority shall be as per Schedule II to these rules.

11. **Meetings.-** (1) The Authority and its Committees shall meet at such times and places as it may consider necessary.

(2) The Authority and its Committees shall determine its own procedure for holding of meetings.

(3) If the Authority or its Committees has to hold a meeting elsewhere than in New Delhi, the approval of the Chairperson of the Authority shall be obtained indicating the reasons thereof.

(4) The Authority and the Committees shall meet at least once in a quarter and at least four such meetings shall be held in a financial year:

Provided that not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive meetings.

(5) The meeting of the Authority shall be presided over by the Chairperson.

(6) If for any reason, the Chairperson is unable to attend a meeting, any other Member chosen by the Members present from amongst themselves at the meeting shall preside over the meeting.

(7) In case of difference in opinion on any question before the Authority, or any of its Committees, the views of the majority shall be taken as the final decision.

(8) More than fifty percent appointed Members of the Authority shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Authority.

(9) Two members of a Committee shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Committee.

(10) For journeys performed by a non-official member of the Authority or Committee or a special invitee in connection with the work of the Authority or Committee, the actual expenditure for attending the meeting shall be reimbursed, subject to maximum of such expenditure limit applicable to a Senior Administrative Grade officer of Government of India.

12. **Member not to participate in meetings in certain cases.-** A member, who has any pecuniary interest, direct or indirect in any matter that is brought up for consideration at a meeting of the Authority and its Committees, shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Authority and its Committees, and the member shall not take any part in any deliberation or decision of the Authority and its Committees with respect to that matter.

13. **Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of Authority.-** No act or proceeding of the Authority and its Committees shall be invalid merely by reason of-

(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Authority and its Committees;

(b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority and its Committees;

(c) any laches in the procedure of the Authority and its Committees not affecting the merits of the case.

14. **Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or Authority or any officer of the Central Government or any member, officer or other employee of the Authority for anything, which is in good faith done or intended to be done under these rules.

Schedule I

S. No.	Designation	Pay Scale	Number of posts
1.	General Manager	PB-4 + GP Rs. 8700	01
2.	Assistant General Manager	PB-3 + GP Rs. 5400	01
3.	Senior Accounts Officer	PB-3 + GP Rs. 5400	01
4.	Assistant Accounts Officer	PB-2 + GP Rs. 4800	02

Schedule II

Functional Divisions of the Authority

(1) Administration:

(i) Establishing, equipping, maintaining and operating administrative functions as may be necessary or deemed expedient for fulfilling the objects of the Fund.

(ii) Authority and committees of Authority related matters.

(2) Investment/ Funds Management:

(i) Maintaining funds standing to the credit of Fund, investing the same in interest bearing account of any nationalised bank.

(ii) Opening of depository account of authority and transferring into the account securities of investor and transferring to investors account securities upon settlement of the claim.

(3) Claims and Settlement:

(i) Making refunds to eligible investors after following due procedure in respect of claims lodged by investors in accordance with clause (a) of sub-section (3) of section 125 of the Act and rules made thereunder.

(ii) Distribution of disgorged amount as per the order of the court or the Authority.

(iii) Distribution of disgorged amount in consultation with Legal and Enforcement Division, to eligible and identified security holders who have suffered losses due to any wrong actions of any person in accordance with the order of Tribunal or order of the Authority, as the case may be. The amount to be distributed shall be limited to amount disgorged in respect of any particular order and no other funds can be used for distribution.

(4) Legal and Enforcement:

(i) Initiation of legal cases against non-compliant companies or persons.

(ii) Handling disputes and legal cases arising out of claims or settlement or any other dispute.

(iii) Reimbursement of funds from Fund for meeting legal expenses incurred in pursuing class action suits under section 37 and 245 of the Act by members, debenture holders or depositors as sanctioned by Tribunal in accordance with the procedure prescribed in this regard.

(5) Investor Education and Protection:

(i) Registering associations or institutions or professional bodies or chambers of commerce and industry or other organisations engaged in investor education and protection activities.

(ii) Sanctioning grants to the registered entities for seminars, programmes, projects or activities in the field of corporate governance, Investors' Education and Protection including research activities.

(iii) Monitoring of the utilisation of the grants to ensure the achievements of the objectives of the sanctioning of the grants.

(iv) Cooperating and collaborating with institutions engaged in Investor Education, corporate governance, awareness, and protection activities.

(v) Conducting on its own or in collaboration with entities engaged in Investor education and protection or academic institutions or other regulated entities like Stock Exchanges, Depositories, Banks and Mutual funds nationwide investors' education and awareness programmes including seminars and symposia.

(vi) Setting up of institutional arrangements or infrastructure for taking up programmes; projects and action plans keeping in view the objectives and expenditure relating thereto, including research and training activities.

(vii) Publishing and disseminating information for investors' benefit and objects and achievements of the Fund.

(viii) Advising Central Government on the issues related to Investors' interest.

(ix) Sponsor specific studies or research or analysis for the development of capital market.

(6) Finance, Accounts and Audit:

(i) Maintenance of accounts of inflow and outflow of funds.

(ii) Reconciliation of accounts of investors.

(iii) Preparation of all accounting reports, audit work and annual report.

(iv) Returns to Central Government.

(v) Preparation of budget of authority and its monitoring.

(vi) Accounting for all claims of investor in respective accounts.

(vii) Procedure for accounting of investors' funds and securities.

(7) The Chairperson may re-allocate functions, merge or sub-divide divisions as per administrative requirement.

IndiaCode

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.